

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ. / ५२ /2022

दिनांक २८.०३.२०२२

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) / सं.प.अ./35/2022 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा श्रीमती सुमन सिंघल (RJ0981), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) हाल प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, करौली को दिनांक 02.03.2022 से 08.03.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.03.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) २८.०३.२०२२

क्रमांक:-स्था.बी.2(4) / 147 / 2015 / २३२४

दिनांक : २८ .०३.२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 1548 दिनांक 02.03.2022 के सन्दर्भ में।
- श्रीमती सुमन सिंघल (RJ0981), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, करौली।
- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।


सहायक रजिस्ट्रार